

## सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइनों के तारों (कण्डक्टर) की जमीन एवं छत/बालकनी से दूरी के मानक

➤ छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी एल.टी. लाइन हेतु	— 2.44 मीटर (8 फीट)
➤ छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी एच.टी. लाइन हेतु (11 व 33 के.वी.)	— 3.66 मीटर (12 फीट)
➤ भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी एल.टी. लाइन/11 के.वी. लाइन हेतु	— 1.22 मीटर (4 फीट)
➤ भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी 33 के.वी. लाइन हेतु	— 1.83 मीटर (6 फीट)
➤ सड़क के आर-पार एल.टी. लाइन हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी	— 5.80 मीटर
➤ सड़क के किनारे एल.टी. लाइन हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी	— 5.50 मीटर
➤ एच.टी. लाइन(11 व 33 के.वी.) हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी	— 6.10 मीटर

### 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 फीडर के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु

- लाइन के खम्भे सीधे गड़े हो तथा जमीन में ठीक प्रकार से अवस्थित हो।
- लाइन में प्रयुक्त कण्डक्टर की जमीन से ऊँचाई मानक से कम न हो।
- लाइन में प्रयुक्त कण्डक्टर की स्थिति जर्जर न हो।
- कण्डक्टर इंसुलेटर से ठीक प्रकार बंधा हो।
- क्रॉस आर्म इंसुलेटर में टूट-फूट एवं टेढ़े न हो।
- लाइन के जम्पर पी0जी0 कलैम्प से विधिवत् टाइट होकर लगे हो।
- जम्पर मैटेलिक पार्ट से उचित दूरी पर हो।
- क्रॉस आर्म विधिवत् टाइट हो तथा टेढ़े न हो।
- एंगिल पोल पर स्टे एवं स्टे इंसुलेटर अवश्य लगी हो तथा टाइट हो।
- लाइन पेड़ों/झाड़ियों से दूर हो एवं लाइन की क्लीयरेंस हेतु वृक्ष की शाखा की छटाई हो।
- पोल के मैटेलिक पार्ट विधिवत् अर्थ हो।